



2026:AHC:43970

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 2997, वर्ष 2026

प्रेम वीर सिंह राणायाचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 8 अन्यप्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: आर्या गौतम, अतिप्रिया गौतम, देवेश मिश्रा, वरिष्ठ अधिवक्ता

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. सुश्री अतिप्रिया गौतम के स्थान पर ब्रीफ होल्ड कर रहे श्री दिव्य ज्योति (AoR संख्या A/D1083/2023) द्वारा सहायता प्राप्त याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विजय गौतम एवं राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आर.एस. उमराव को सुना गया।
2. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसे 12.12.1984 को पुलिस विभाग में कांस्टेबल के रूप में नियुक्त किया गया था और वर्ष 1990 में हेड कांस्टेबल के रूप में पदोन्नत किया गया था। उसे वर्ष 1996 में आगे उप-निरीक्षक के रूप में पदोन्नत किया गया और वह 31.12.2024 को सेवानिवृत्त हो गया। याचिकाकर्ता के अनुसार, उसके विरुद्ध थाना दोघट, जिला बागपत में आईपीसी की धारा 147, 452, 323, 504, 506, 306 के तहत केस क्राइम संख्या 190, वर्ष 2022 का एक आपराधिक मामला लंबित है, जिसमें 28.09.2022 को "55, वर्ष 2022" संख्या वाली चार्जशीट दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता के विरुद्ध एक अन्य प्राथमिकी केस क्राइम संख्या 132, वर्ष 2023, धारा 420,

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



467, 468, 471 आईपीसी के तहत दर्ज हैं, जिसमें भी 28.05.2023 को चार्जशीट संख्या 211, वर्ष 2023 दाखिल की गई थी; इसके बाद एक अन्य केस क्राइम संख्या 23, वर्ष 2016, धारा 506 आईपीसी के तहत है, जिसमें भी चार्जशीट प्रस्तुत की गई थी। याचिकाकर्ता के अनुसार, वर्तमान में उसे औबंधिक पेंशन का भुगतान किया जा रहा है, लेकिन इस तथ्य को देखते हुए कि याचिकाकर्ता द्वारा कोई ऐसा गंभीर अपराध नहीं किया गया है जिससे कि लाभों को रोका जाए, याचिकाकर्ता पूर्ण पेंशन और लाभों के भुगतान का दावा करता है। इस संबंध में इस न्यायालय के निर्णय 'देवेंद्र कुमार शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2021 (12) ADJ 590' पर भरोसा जताया गया है।

3. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता का तर्क है कि याचिकाकर्ता के दावे पर प्रथम दृष्टया प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा निर्णय लिया जाना चाहिए।
4. अधिवक्ताओं द्वारा दी गई दलीलों पर विचार करते हुए, रिट याचिका को इस निर्देश के साथ निस्तारित किया जाता है कि याचिकाकर्ता, रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ प्रतिवादी संख्या 4 के समक्ष एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करे, जो उक्त आवेदन पर आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से दो महीने की अवधि के भीतर, कानून के अनुसार सख्ती से याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करेंगे।

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

फरवरी 26, 2026

एन.एस. राठौर

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।